

न्यायालय उपखण्डअधिकारी (राजस्व) भादरा, जिलाहनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस

मि०न० - 23/2020(2020/00035)

अनवान : -

1. प्रहलाद सिंह पुत्र नारायण जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।  
वादी


बनाम

1. नारायण पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
2. फुलाराम पुत्र नारायण जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
3. मेसर पुत्री नारायण पत्नी शिशपाल जाति जाट निवासी करनपुरा हाल निवासी भगाणा तहसील व जिला हिसार।
4. सुमित्रा पुत्री नारायण पत्नी सरजीत जाति जाट निवासी करनपुरा हाल निवासी बरासरी तहसील व जिला सिरसा।
5. गौरादेवी पुत्री नारायण पत्नी प्रतापसिंह जाति जाट निवासी करनपुरा हाल कुंजी तहसील भादरा।
6. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, शाखा भादरा जरिए शाखा प्रबंधक।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार(राजस्व) भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री श्रवण सहारण प्रथम व वकील प्रतिवादी श्री श्रवण सहारण द्वितीय की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रोही मौजा करनपुरा बरानी के खाता सं. 134/128 के खसरा सं. 74 की 2.782 हैक्टर, खसरा सं. 74/3 की 2.782 हैक्टर, खसरा नं. 75 की 3.226 हैक्टर, खसरा नं. 75/2 की 0.632 हैक्टर इस प्रकार कुल 9.422 हैक्टर बरानी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 01 नारायण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उसमें वादी प्रहलाद सिंह एवं प्रतिवादी सं. 01 नारायण व प्रतिवादी सं. 02 फुलाराम तीनों 1/3-1/3 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादी सं 1 व 2 प्रत्येक को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ...16/03/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(शकुंतला चौधरी) (राजस्व),  
भादरा (जिला हनुमानगढ़)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ़